



यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, वि.त्रै.म.सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए यूको बैंक के शेयरधारकों का एक असाधारण सामान्य अधिवेशन दिनांक 23 मार्च, 2012 को 11.00 बजे पूर्वाह्न नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में आयोजित किया जाएगा :

विचार करने और यदि उचित पाया गया तो आशोधन सहित या उसके बिना विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा यूको बैंक (शेयर और अधिवेशन) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसरण में एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, और/या इस संबंध में अपेक्षित किए जा सकनेवाले किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति के, यदि कोई हों, अध्यक्षीन तथा ऐसे निबंधन, शर्तों एवं उनके आशोधन के अध्यक्षीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन किए जाने में विहित किए जाएं और जिनपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा अद्यतित रूप से यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड आईसीडीआर विनियम) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य सभी सुसंगत प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अध्यक्षीन तथा जिन शेयर बाजारों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यक्षीन एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निदेशक मंडल” कहा गया है और जिसमें कोई ऐसी समिति शामिल समझी जाएगी जो निदेशक मंडल द्वारा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो/की जा सकती हो) बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है।”

क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार अवधारित किए जा सकनेवाले मूल्य पर नकदी के लिए कुल 500 करोड़ रु. तक के प्रत्येक 10/- रु. (दस रुपये मात्र) के 6,06,13,407 (छह करोड़ छह लाख तेरह हजार चार सौ सात) तक ईक्विटी शेयर सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित तथा अधिमानी आधार पर भारत सरकार को आबंटित करने के लिए।

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(4) के अनुसार अवधारित किए जा सकनेवाले मूल्य पर नकदी के लिए कुल 258.82 करोड़ रु. तक के प्रत्येक 10/- रु. (दस रुपये मात्र) के 3,13,75,874 (तीन करोड़ तेरह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ चौहत्तर) तक ईक्विटी शेयर सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित तथा अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और/या भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को आबंटित करने के लिए।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य अवधारित करने के लिए सुसंगत तारीख 22 फरवरी, 2012 है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / ऐसे शेयर बाजारों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरणों द्वारा उनको निर्गमित, आबंटित और सूचीबद्ध करने के लिए अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते समय अपेक्षित या अधिरोपित किया जाए तथा जिससे निदेशक मंडल सहमत हों।”

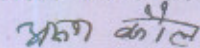
“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जानेवाले उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयर के समरूप होंगे और ऐसे सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश के, यदि कोई हों, हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा किए जाने के समय लागू हों।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामला एवं बात करें जैसा वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें तथा ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निवारण करें जो ईक्विटी शेयर का निर्गम करने के संबंध में उत्पन्न हो तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामला एवं बात भी करें और ऐसी सभी दस्तावेजों एवं लेख को अंतिम रूप दें एवं निष्पादित करें जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो और जिन्हें वे शेयरधारकों से आगे कोई सहमति या अनुमोदन या इस निमित्त एवं आशय के प्राधिकार की अपेक्षा किए बिना उचित, समुचित या वांछनीय समझें कि इससे शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से अभिव्यक्त रूप से इसपर अपना अनुमोदन दिया गया समझा जाएगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे इसके द्वारा उन्हें प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों को या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी को उस रूप में प्रत्यायोजित करें जैसा वे उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उचित समझें।”

स्थान : कोलकाता
तारीख : 23.02.2012

निदेशक मंडल के आदेश से



(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



यूको बैंक  UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank will be held at National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 on 23rd March, 2012, at 11.00 A.M. to transact the following business:

To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution as a special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended upto date (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted/may constitute to exercise its powers including the powers conferred by this resolution).

- a) to create, offer, issue and allot upto 6,06,13,407 (Six Crore Six Lakh Thirteen thousand four hundred seven) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price as may be determined in accordance with 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto Rs. 500 crores on preferential basis to Government of India.
- b) to create, offer, issue and allot upto 3,13,75,874 (Three Crore Thirteen Lakh Seventy Five thousand eight hundred seventy four) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price as may be determined in accordance with 76(4) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto Rs. 258.82 crores on preferential basis to the Life Insurance Corporation of India and/or various schemes of Life Insurance Corporation of India

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 22nd February, 2012.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors


(ARUN KAUL)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 23.02.2012



टिप्पणी

1. व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. परोक्षी की नियुक्ति

अधिवेशन में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले अधिवेशन में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर सेक्शन, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700001 में अधिवेशन की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी 17 मार्च, 2012 को या उसके पूर्व बैंक के कार्य-समय की समाप्ति से पहले अवश्य प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि यूको बैंक (शेयर और अधिवेशन) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी या किसी कारपोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधिवेशन में उपस्थित होने या मतदान करने का हकदार तबतक नहीं होगा जबतक जिस संकल्प द्वारा उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, उसकी एक प्रति को उस अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें उक्त संकल्प पारित किया गया था, सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित कराकर बैंक के प्रधान कार्यालय, शेयर सेक्शन, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700001 में अधिवेशन की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी 17 मार्च, 2012 को या उसके पूर्व बैंक के कार्य-समय की समाप्ति से पहले जमा न किया जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित परोक्षी फार्म, यदि कोई हो, तभी प्रभावी होगा जब उसे उपर्युक्त दस्तावेज सहित बैंक में उपर्युक्त पते पर 17 मार्च, 2012 को या उसके पूर्व बैंक के कार्य-समय की समाप्ति से पहले जमा किया जाए। कृपया नोट करें कि समय-समय पर यथासंशोधित यूको बैंक (शेयर और अधिवेशन) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें तथा उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और अधिवेशन-स्थल पर उसे सौंपें। शेयरधारक / शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर, यथास्थिति, "परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि" का उल्लेख करें।

5. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने रजिस्ट्रीकृत पते में परिवर्तन की, यदि कोई हो, सूचना या कोई अन्य विवरण अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेप सहभागी के माध्यम से एवं मूर्तीकृत शेयरों के मामले में सीधे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को निम्नलिखित पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लॉट नं. 17 से 24 तक, विट्ठल राव नगर, माध्यापुर, हैदराबाद- 500 081

टेलीफोन : (040) 44655000, फैक्स : (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायतों के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.karvycomputershare.com पर लॉग-इन कर सकते हैं और अपनी पूछताछ / शिकायतों के, यदि कोई हों, रजिस्ट्रीकरण हेतु निवेशक सेवा पेज पर क्लिक कर सकते हैं।

6. शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को शीघ्र एवं प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। किसी भी तरह की सहायता के लिए शेयरधारक और निवेशक निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव,

शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष,

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001

टेलीफोन : 033-2231-6858



Notes

1. The explanatory statement is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 17th March, 2012. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation, 2003.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on 17th March, 2012. The Proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is deposited with Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 17th March, 2012 at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003 as amended from time to time.

4. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice, Shareholders/ Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be.

5. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Plot No. 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081

Tel : (040) 44655000 Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

6. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,

Share Section & Investors Grievance Cell

UCO Bank

Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001

Telephone : 033-2231-6858



सूचना का अनुलग्नक

व्याख्यात्मक विवरण

अद्यतित रूप में यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन।

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

परिसंपत्ति विस्तार योजना में सहायता के लिए तथा बासेल-III मानदंडों को पूरा करने हेतु बैंक की टियर-1 पूँजी को सुदृढ़ करने की पहल के रूप में बैंक ने निर्णय किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर निर्गमित कर ईक्विटी पूँजी जुटाई जाए।

भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमानी आबंटन के रूप में भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रु. (पाँच सौ करोड़ रुपए मात्र) तक दिया जाना प्रस्तावित है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक की निर्गम-पूर्व चुकता ईक्विटी पूँजी के अधिकतम 5% तक अभिदान करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। ईक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन के बाद बैंक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 8% टियर-I सीआरएआर प्राप्त करेगा। जुटाई गई पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता में वृद्धि करने तथा बैंक के सामान्य कारोबार की जरूरतों के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा।

ख) बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्गम किया जाना प्रस्तावित है। निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ग) अद्यतित रूप से यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 के अनुसार निर्गम मूल्य अवधारित किया जाएगा। चूंकि निर्गम मूल्य अभिनिश्चित करने की सुसंगत तारीख 22 फरवरी, 2012 है, अतः इस प्रकार अवधारित निर्गम मूल्य लगभग ₹82.49 है।

घ) निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न

क्रमांक	श्रेणी	निर्गम के पहले		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
अ.	प्रवर्तक की धारिता				
	1 प्रवर्तक				
	भारत सरकार	427517479	68.13	488130886	67.84
	विदेशी प्रवर्तक				
	2 कन्सर्ट में कार्यरत व्यक्ति				
	उप-योग				
आ.	गैर-प्रवर्तक धारिता				
	3 संस्थागत निवेशक				
	क म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	3917295	0.62	3917295	0.55
	ख बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	1369004	0.22	1369004	0.19
	ग बीमा कंपनियाँ	62320885	9.93	93696759	13.02
	घ एफआईआई	21833980	3.48	21833980	3.03
	उप-योग	89441164	14.25	120817038	16.79
	4 अन्य				
	क प्राइवेट कारपोरेट निकाय	21509413	3.43	21509413	2.99
	ख भारतीय जनता	83217799	13.26	83217799	11.57
	ग एनआरआई/ओसीबी	2089527	0.33	2089527	0.29
	घ कोई अन्य	3742097	0.6	3742097	0.52
	उप-योग	110558836	17.62	110558836	15.37
	कुल योग	627517479	100.00	719506760	100.00



ANNEXURE TO NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 as amended upto date.

a) **Objects of the Preferential Issue**

In an initiative to augment the Tier I capital of the Bank to support asset expansion plans and meeting Basel-III norms, Bank has decided to raise equity capital by issue of equity shares to the Life Insurance Corporation of India and Government of India on preferential basis.

The Government of India proposes to infuse upto Rs.500 crore (Rupees Five hundred Crore only) by way of preferential allotment of equity in favour of Govt. of India and The Life Insurance Company Corporation of India expressed their in principle consent for subscribing maximum upto 5% of the pre issue paid up equity capital of the Bank. Subsequent to the preferential allotment of equity shares, the Bank would attain minimum 8% Tier I CRAR as on 31.03.2012. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) The issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank and the Life Insurance Corporation of India. There would not be any change in control subsequent to the issue.

c) The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The issue price so determined is around ₹ 82.49 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is February, 22, 2012.

d) **Shareholding Pattern before and after the Issue**

Sl No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding				
1	Promoters				
	Government of India	427517479	68.13	488130886	67.84
	Foreign promoters				
2	Persons acting in concert				
	Sub Total				
B	Non -Promoter Holding				
3	Institutional Investors				
a	Mutual Funds and UTI	3917295	0.62	3917295	0.55
b	Banks, Financial Institutions	1369004	0.22	1369004	0.19
c	Insurance Companies	62320885	9.93	93696759	13.02
d	FII's	21833980	3.48	21833980	3.03
	Sub Total	89441164	14.25	120817038	16.79
4	Others				
a	Private Corporate Bodies	21509413	3.43	21509413	2.99
b	Indian Public	83217799	13.26	83217799	11.57
c	NRIs/OCBs	2089527	0.33	2089527	0.29
d	Any Others	3742097	0.6	3742097	0.52
	Sub Total	110558836	17.62	110558836	15.37
	Grand Total	627517479	100.00	719506760	100.00



- ड) बैंक निर्गम प्रक्रिया को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड आईसीडीआर विनियम में यथाउल्लिखित विहित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास कर रहा है।
- च) भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की निर्गम-पूर्व एवं निर्गम-पश्चात् शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

	भारत सरकार		भारतीय जीवन बीमा निगम	
	शेयरों की संख्या	पूंजी की तुलना में प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	पूंजी की तुलना में प्रतिशतता
निर्गम-पूर्व	427517479	68.13	52933038	8.43
निर्गम-पश्चात्	488130886	67.84	84308912	11.71

- छ) बैंक के ईक्विटी शेयर छह माह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं और तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) एवं 78(5) के उपबंध लागू नहीं हैं। अतः भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 73(1) (च) एवं (छ) के अधीन प्रकटन लागू नहीं हैं।
- ज) निर्गमित एवं भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे। परंतु निर्गमित एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किए जानेवाले सभी शेयर आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे।
- झ) सांविधिक लेखा परीक्षक (कों) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम की अपेक्षानुसार किया जा रहा है, असाधारण सामान्य अधिवेशन में उपस्थापित किया जाएगा।
- ञ) भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं और बैंक उन शेयर बाजारों के साथ, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, किए गए सूचीकरण करार में यथाउल्लिखित ईक्विटी शेयरों के लगातार सूचीकरण की शर्तों का पालन कर रहा है। भारत सरकार ने सुसंगत तारीख के पूर्व छह महीने के दौरान बैंक का कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।
- ट) बीमा कंपनी होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम को सुसंगत तारीख के पूर्व छह महीने के दौरान ईक्विटी शेयर नहीं बेचने से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 72(2) के उपबंधों से छूट प्राप्त है।
- ठ) आपके निदेशक विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक इस संकल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं।

स्थान : कोलकाता
तारीख : 23.02.2012

निदेशक मंडल के आदेश से

अरुण कौल

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



- e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations
- f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India and LIC of India would be as under.

	Government of India		LIC of India	
	Number of Shares	Percentage to Capital	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	427517479	68.13	52933038	8.43
Post-issue	488130886	67.84	84308912	11.71

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable. Hence disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI(ICDR)Regulations, 2009 are not applicable.
- h) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment. While the shares issued and allotted to Life Insurance Corporation of India shall be locked in for a period of one year from the date of allotment.
- i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI (ICDR) Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- j) All the shares held by the Government of India and Life Insurance Corporation of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- k) LIC being Insurance Company is exempt from the provisions of Regulations 72(2) of the SEBI ICDR Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.
- l) Your directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

Place : Kolkata

Date : 23.02.2012

By order of the Board

(ARUN KAUL)

Chairman and Managing Director